



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 27 मई, 2021
ज्येष्ठ 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 952 ई-2/तेरह-2021-44-2013
लखनऊ, 27 मई, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-39

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 31 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल वर्ष 2021-2022 के लिए समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं बीयर की आयात परमिट फीस एवं उत्तर प्रदेश स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से अन्य राज्यों हेतु निर्यात परमिट फीस निम्नवत् नियत करती हैं:-

(1) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	आयात परमिट फीस	उत्तर प्रदेश स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से अन्य राज्यों हेतु निर्यात परमिट फीस
रु० 0 से रु० 600.00 तक	रु० 400.00+एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत	रु० 300.00 प्रति बल्क लीटर
रु० 600 से अधिक और रु० 1500.00 तक	रु० 650.00+एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत	रु० 300.00 प्रति बल्क लीटर
रु० 1500 से अधिक और रु० 3000.00 तक	रु० 1000.00+एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत	रु० 300.00 प्रति बल्क लीटर
रु० 3000 से अधिक	रु० 1500.00+एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत	रु० 300.00 प्रति बल्क लीटर

(2) समुद्रपार आयातित बीयर

तीव्रता	आयात परिमित फीस	उत्तर प्रदेश स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से अन्य राज्यों हेतु निर्यात परिमित फीस
5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	रु0 150.00 प्रति लीटर	रु0 300.00 प्रति बल्क लीटर
5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	रु0 150.00 प्रति लीटर	रु0 300.00 प्रति बल्क लीटर

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 952 E-2/XIII-2021-44-2013, dated May 27, 2021 for general information:

No. 952 E-2/XIII-2021-44-2013

Dated Lucknow, May 27, 2021

IN exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to fix the import permit fee of Overseas Imported Foreign liquor and Beer and export permit fee for other states from Custom Bond Warehouses situated in Uttar Pradesh for year 2021-2022 as follows:-

(1) Overseas Imported Foreign liquor.

Ex-Custom Bond Price Per bottle (750ml)	Import Permit fee	Export Permit fee for other states Custom Bond Warehouses situated in Uttar Pradesh
Rs.0 to Rs. 600.00	Rs.400.00+40 percent of Ex-Custom Bond Price	Rs. 300.00 per bulk litre
More than Rs.600.00 and up to Rs.1500.00	Rs.650.00+30 percent of Ex-Custom Bond Price	Rs. 300.00 per bulk litre
More than Rs.1500.00 and up to Rs.3000.00	Rs.1000.00+20 percent of Ex-Custom Bond Price	Rs. 300.00 per bulk litre
More than Rs.3000.00	Rs.1500.00+10 percent of Ex-Custom Bond Price	Rs. 300.00 per bulk litre

(2) Overseas Imported Beer.

Stength	Permit fee	Export Permit fee for other states Custom Bond Warehouses situated in Uttar Pradesh
Up to 5% (v/v)	Rs.150.00 per litre	Rs. 300.00 per bulk litre
More than Rs.600.00 and up to Rs.1500.00	Rs.150.00 per litre	Rs. 300.00 per bulk litre

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Additional Chief Secretary Excise Deptt.,
U.P. Govt. .

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 53 राजपत्र-2021-(100)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 6 सा० आबकारी-2021-(101)-100 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।